

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :- एफ.9(05)(12-11)सासुपें/पेंशन नियम/सान्याअवि/2014-15/ 6337

जयपुर दिनांक 10/7/19

संशोधित परिपत्र

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9 (05) (12-11) सासुपें / पेंशन नियम / सान्याअवि / 2014-15 / 2143 दिनांक 22.05.2019 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के नियम 10 में प्रावधान है कि यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की रकम एक वर्ष या इससे अधिक की कालावधि तक आहरित नहीं की जाती है तो उक्त अवधि की पेंशन राशि देय नहीं होगी। कुछ जिला कलक्टर द्वारा 11 माह से अधिक अवधि के स्टॉप पेंशन के ऐसे प्रकरणों में, जिनके निस्तारण में 11 माह से अधिक का विलम्ब हुआ है, के संबंध में मार्गदर्शन चाहे जाने पर विभाग के पत्र क्रमांक एफ 09 (05) (12-1)सासुपे/पेंशन नियम/सान्याअवि/ 2013-14/45029 दिनांक 01.08.2017 के द्वारा उनमें स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा नियमों में वर्णित प्रक्रिया को अपनाते हुए संक्षिप्त जांच उपरान्त नियमानुसार दो वर्ष की कालावधि की पेंशन राशि की बकाया का भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

स्टॉप पेंशन के ऐसे प्रकरण जिनमें किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की पेंशन वार्षिक सत्यापन के अभाव में रुकी हुई है, उनमें पेंशनर द्वारा ई-मित्र कियोस्क/राजीव सेवा केन्द्र पर आधार आधारित भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन कराये जाने पर, जिस दिन सत्यापन करवाया जाता है, तो उसे जीवित होने का प्रमाण पत्र मानते हुए, सत्यापन की तिथि को देय तीन वर्ष से अधिक की कालावधि की पेंशन राशि की बकाया का भुगतान संदेय नहीं होगा। अर्थात् तीन वर्ष तक की अवधि की बकाया पेंशन राशि का भुगतान पोर्टल से स्वतः ही देय हो जायेगा। इस संबंध में वर्तमान में प्रभावी नियमों के अन्तर्गत संबंधित आहरण वितरण अधिकारी (कोषाधिकारी), पेंशन स्वीकृति एवं वितरण अधिकारी (जिला कलक्टर) एवं राज्य स्तर से पृथक से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी अर्थात् उक्त अवधि की बकाया पेंशन राशि देय होगी उसका स्वतः ही पेंशन पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।

तीन वर्ष से अधिक की अवधि के पात्र प्रकरण जिला कलक्टर द्वारा गुणावगुण के आधार पर कारण अंकित कर स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रकरण निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित किये जायेंगे। जिस पर निदेशालय से अनुमति प्राप्त कर बकाया राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन उपरान्त लाभ हस्तान्तरित किये जा रहे हैं, अतः यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ऐसे लाभार्थी द्वारा, जो वर्ष में एक बार भी यदि राशन की दुकान पर

D:\stuti goswami\pension order.docx

स्वयं के बायोमैट्रिक सत्यापन उपरान्त राशन प्राप्त करता है, को जीवितता प्रमाण-पत्र हेतु पृथक से बायोमैट्रिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।

(अखिल अरोरा)

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.9(05)(12-II)सासुपें/पेंशन नियम/सान्याअवि/2014-15/ 6338-6938 जयपुर दिनांक 10/7/19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज.जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त (समस्त)/जिला कलक्टर (समस्त) को अपने अधीनस्थ संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को अपने अधीनस्थ संबंधित विकास अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग/वित्त (नियम) अनुभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
12. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित जिला कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
13. संयुक्त निदेशक, आई एफ एम एस, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी वित्त भवन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि ऐसे लाभार्थियों की जानकारी कर विभागीय डाटाबेस में भामाशाह डाटाहब के माध्यम से अद्यतन किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
15. संयुक्त निदेशक (आई टी)/एसीपी (पेंशन) कंप्यूटर शाखा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
16. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
17. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव